सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 178 राँची, गुरुवार, 2 चैत्र, 1938 (श०)
23 मार्च, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 जनवरी, 2017

संख्या-5/आरोप-1-416/2014 का॰ 140-- श्री मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-863/03, गृह जिला- राँची), सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध इनकी पत्नी द्वारा समर्पित परिवाद-पत्र के आधार पर विभाग स्तर से प्रपत्र-'क' का गठन किया गया, जिसमें उल्लिखित आरोप का विवरण निम्नवत् है:-

"श्रीमती शुभा जुबिता (कुजूर) टोप्पो, पति-श्री मतियस विजय टोप्पा, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के सलाहकार को समर्पित आवेदन, दिनांक 7 जून, 2013, उपायुक्त, राँची को समर्पित आवेदन, दिनांक 1 मई, 2013, थाना प्रभारी महिला, राँची को समर्पित आवेदन, दिनांक 27 अप्रैल, 2013, अध्यक्ष, झारखण्ड महिला आयोग को समर्पित

आवेदन, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की छायाप्रति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया गया है ।

आवेदन पत्रों में श्रीमती शुभा जुबिता (कुजूर) टोप्पो द्वारा अपने पति-श्री मतियस विजय टोप्पो, झा०प्र०से०, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि श्री टोप्पो द्वारा दहेज के रूप में कार के लिए दबाव बनाया जाता रहा है । श्री टोप्पो द्वारा पत्नी के रहते हुए भी अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाया गया है एवं पत्नी श्रीमती शुभा जुबिता टोप्पो को प्रताड़ित किया गया है ।

श्रीमती शुभा जुबिता टोप्पो का विवाह श्री मतियस विजय टोप्पो से दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 को हुआ एवं इन्हें एक पुत्र एवं पुत्री है । श्रीमती टोप्पो का आरोप है कि श्री टोप्पो जब कार्यपालक दण्डाधिकारी, घाटशिला के पद पर कार्यरत थे तब एक ड्राईवर के पत्नी से इनका संबंध था एवं ये श्रीमती टोप्पो को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे । तत्पश्चात् इनका पदस्थापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, माण्डर के पद पर हुआ। यहाँ भी श्री टोप्पो का संबंध एक महिला से था और ये मानसिक रूप से श्रीमती टोप्पो को प्रताड़ित करते रहते थे ।

श्री टोप्पो का पदस्थापन प्रोन्नति के पश्चात् डी०सी०एल०आर०, गुमला के पद पर हुआ। यहाँ भी उनका संबंध अन्य महिलाओं से जारी रहा एवं अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहे । श्री टोप्पो के मोबाईल संख्या-9431903039 के कॉल डिटेल से इसका प्रमाण मिल सकता है । अप्रैल, 2013 में श्रीमती टोप्पो के हाथ श्री टोप्पो का मोबाईल लगा, जिसमें किसी अन्य स्त्री के साथ श्री टोप्पो का अश्लील वीडीयो चित्रीत पाया गया, जिसे श्रीमती टोप्पो द्वारा सी०डी० में कॉपी कर लिया गया । इसकी जानकारी मिलने पर श्री टोप्पो द्वारा पत्नी को धमकियाँ दिया जाने लगा । श्रीमती टोप्पो द्वारा अपने साथ-साथ बच्चों की जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की गई है । श्रीमती टोप्पो दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को श्री टोप्पो का घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ अपने पिता के पास रह रही है ।

श्रीमती शुभा जुबिता टोप्पो के आवेदनों के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-6650, दिनांक 23 जुलाई, 2013 द्वारा आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची से जाँच हेतु अनुरोध किया गया है । इसके अनुपालन में आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, द०छो० प्रमंडल, राँची से जाँच कराई गई है । क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, द०छो० प्रमंडल, राँची द्वारा जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-656, दिनांक 9 जुलाई, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है । इसके आधार पर आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची के पत्रांक-1477/स्था०, दिनांक 3 सितम्बर, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि श्री टोप्पो का अवैध संबंध अन्य स्त्रियों से रहा है ।

श्री मतियस विजय टोप्पो का उक्त कृत सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है एवं दण्डनीय है।"

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-3526, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. विभागीय संकल्प सं०-3928, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा श्री सिन्हा के स्थान पर श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-68, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें इनके द्वारा मंतव्य दिया गया है कि विषयगत मामले में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, राँची के पत्रांक-656, दिनांक 9 जुलाई, 2013 द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन, आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची के पत्रांक-1477/स्था०, दिनांक 3 सितम्बर, 2013 में उल्लिखित तथ्य/निष्कर्ष तथा श्रीमती शुभा जुबिता कुजूर द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कर भेजे गये फोटोग्राफ्स के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है ।

5. श्री टोप्पो के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन में निम्नवत् त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं-

(क) संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री मतियस विजय टोप्पो के विरूद्ध पत्नी से बिना तलाक लिये अन्य स्त्री वीणा रानी ठाकुर से विवाह करने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया है परंतु अन्य आरोपों, यथा-(i) दहेज में कार के लिए दबाव बनाने, (ii) अन्य स्त्रियों के साथ अश्लील विडियो चित्रित करने, (iii) मोबाईल नं०-9431903039 के कॉल डिटेल में प्रमाण होने तथा (iv) श्री टोप्पो द्वारा वीणा रानी ठाकुर एवं उनकी माँ श्रीमती सीता देवी को आदिवासी भूमि मुहैया कराने के आरोपों के संबंध में कोई मंतव्य नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री टोप्पो के साथ अवैध रूप से शादी करने वाली वीणा रानी ठाकुर का पक्ष प्राप्त नहीं किया गया है ।

(ग) आरोप में वर्णित मोबाईल नं०-9431903039 का कॉल डिटेल नहीं निकाला गया है ।

(घ) अन्य स्त्रियों के साथ अश्लील विडियो की सत्यता की जाँच हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

(ङ) श्री टोप्पो के साथ अवैध रूप से शादी रचाने वाली वीणा रानी ठाकुर के आवासीय पता की जानकारी रहने पर भी आरोपों की अहम कड़ी होने के बावजूद भी उनका पक्ष प्राप्त नहीं किया गया ।

(च) संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री टोप्पो के विरूद्ध आरोप को जिन फोटोग्राफ्स के आधार पर प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, उन फोटोग्राफ्स को सत्य प्रमाणित करने के लिए कोई आवश्यक जाँच अथवा संभावनाओं की प्रबलता की तलाश नहीं की गई, न ही फोटोग्राफ्स से संबंधित महिला वीणा रानी ठाकुर, जो कि गुमला की एक कर्मचारी हैं, का बयान दर्ज किया गया ।

6. उक्त कंडिका-5 में वर्णित त्रुटियों की पुनर्जांच कराने हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

7. श्री टोप्पो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अंजनी कुमार मिश्र, अपर समाहर्त्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

8. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 178--50